आदेश

श्री विकास सिंह पुत्र श्री कुलदीप सिंह, पंच, ग्राम पंचायत बडराई, वार्ड नं0 05, खण्ड झोझू, जिला चरखी दादरी द्वारा पंच पद से दिया गया त्याग पत्र दिनांक 18.07.2025 जो उपायुक्त, चरखी दादरी के सिफारिश पत्र कमांक 8984/पंचायत दिनांक 28.08.2025 सहित प्राप्त हुआ है, को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 5 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से स्वीकृत किया जाता है।

दुष्मन्ता कुमार बैहेरा,आई0ए0एस0
महानिदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

चण्डीगढ़, दिनांक
17.09.2025

पृ0 क्रमांक ई0सी0ए02–2025/ 48370-71 दिनांक : 18/9/25

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है:–

1. राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा, निर्वाचन सदन, प्लॉट नं0 2, सैक्टर–17, पंचकूला।
2. उपायुक्त, चरखी दादरी के सिफारिश पत्र कमांक 8984/पंचायत दिनांक 28.08.2025 के संदर्भ में।
3. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, चरखी दादरी।
4. खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, झोझू (जिला चरखी दादरी)।
5. संरपच, ग्राम पंचायत बडराई, खण्ड झोझू, जिला चरखी दादरी।
6. श्री विकास सिंह पुत्र श्री कुलदीप सिंह निवासी गांव बडराई, तहसील बाढ़डा, जिला चरखी दादरी।
7. आई0टी0 सैल, मुख्यालय।

18/9/2025

अधीक्षक (चु0)
कृते: महानिदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग
हरियाणा, चण्डीगढ़।

Gowind/Mohit